न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 06/2021 **दायर दिनांकः 18/01/2021**

उनवान

1. रामसिंह आयु 63 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति मीना
2. रामनारायण आयु 61 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति मीना
3. भूरालाल आयु 43 वर्ष पुत्र मोहनलाल जाति मीना निवासीगण नयागांव ननावता तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां (राज०)।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट
बाबत नाम दुरूस्ती

उपस्थिति :—
प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 16/12/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल गोरडी जागीर पटवार मण्डल ननावता तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 269 का ख0नं0 1292 का रकबा 0.80 है0, ख0नं0 1334 का रकबा 0.68 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.48 है0 आराजी प्रार्थीगण के पिता मोहना उर्फ मोहनलाल के दर्ज खाता है। नकल जमाबंदी नवीन खाता संख्या 269 साथ में संलग्न है। आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थीगण के पिता का नाम खाते में गलती से मोहनलाल के स्थान पर मोहना दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम मोहनलाल है प्रार्थीगण के पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैक पास बुक, भामाशाह कार्ड तथा ग्राम पंचायत ननावता द्वारा जारी प्रमाण पत्र व नकल जमाबन्दी खाता संख्या 323 में भी प्रार्थीगण के पिता का सही नाम मोहनलाल अन्य

सहखातेदारान के साथ दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है। जिनकी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहनलाल के स्थान पर मोहना दर्ज करने की त्रुटि आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने की है। इसलिए प्रार्थीगण आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा की गई त्रुटि को सही करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने उक्त वर्णित आराजी में नाम मोहना के स्थान पर मोहनलाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को दिया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मोखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहना के स्थान पर मोहनलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 व pw 2 के शपथ पत्र पेश किये गये ।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम एवं माल गोरडी जागीर पटवार मण्डल ननावता तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 269 का ख0नं0 1292 का रकबा 0.80 है0, ख0नं0 1334 का रकबा 0.68 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.48 है0 में प्रार्थीगण के पिता का नाम मोहना के स्थान पर सही नाम मोहनलाल दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम गोरडी जागीर संवत् 2073—2076 के खाता संख्या 269 की कुल किता 2 का कुल रकबा 1.48 है0 आराजी मोहना पुत्र बलदेव के दर्ज खाता है। जमाबन्दी संवत 2073—2076 ग्राम गोरडी जागीर के खाता संख्या 323 किता 11 रकबा 8.42 है0 आराजी में प्रार्थीगण का नाम रामसिंह , नारायण, भूरालाल पुत्रगण मोहनलाल सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। अन्य दस्तावेज प्रार्थीगण के पिता मोहनलाल

मीणा का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एस.बी.आई. बैंक डायरी में प्रार्थी क्रम 1 का नाम रामसिंह पुत्र मोहन लाल दर्ज है। प्रार्थी क्रम 2 का नाम आधार कार्ड, बैंक डायरी में राम नारायण पुत्र मोहन लाल, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी क्रम 2 का नाम नारायण पुत्र मोहनलाल दर्ज है। प्रार्थी क्रम 3 का नाम आधार कार्ड, बैंक डायरी, मतदान पहचान पत्र मे भूरा लाल पुत्र मोहनलाल दर्ज है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी के पिता का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल गोरडी जागीर पटवार मण्डल ननावता तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 269 का ख0नं0 1292 का रकबा 0.80 है0, ख0नं0 1334 का रकबा 0.68 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.48 है0 में खातेदार मोहना पुत्र बलदेव के स्थान पर मोहनलाल पुत्र बलदेव राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां